CNR No.-UPFR010054572025

न्यायालय सेशन न्यायाधीश फर्रूखाबाद।
आपराधिक प्रकीर्णवाद संख्या-772/2025
नरेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती पिंकी देवी आदि।

दिनांकः 03.06.2026

1– पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र 3 ए व आपत्ति पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

2– प्रार्थनापत्र 3A अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र, आवेदक द्वारा मुख्यतः इस आशय से दिया गया है कि आदेश दिनांक 13.01.2025 की जानकारी अपीलकर्ता को दिनांक 01.12.2025 को पत्रावली का मुआयना कराने पर हुई। अपीलकर्ता द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में कोई बिलम्ब नहीं किया गया। अपीलकर्ता दिनांक 19.01.2024 को न्यायालय में उपस्थित हुआ था एवं उसके द्वारा आपत्ति दाखिल की गयी और मुकदमा लड़ने के लिए पैसे के अभाव में वह नौकरी करने चला गया। इस कारण वाद में पी.डब्लू. 1 व पी.डब्लू. 2 पर जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को बिना सुने आदेश पारित कर दिये हैं जिनके बने रहने से अपीलकर्ता को अपूर्णनीय क्षति है। उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 13.01.2025 की प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर तत्काल अपील प्रस्तुत की जा रही है, अनुरोध किया कि अपीलकर्ता को धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाये।

3– विपक्षी की तरफ आपत्ति का०स० 14 बी व 16 बी प्रस्तुत कर तर्क रखा गया कि अपीलकर्ता ग्राम न्यायालय में लम्बित मु० नं० 25/12/23 में भिन्न–भिन्न तिथियों पर उपस्थित होता रहा है एवं विचारण न्यायालय में उसके द्वारा दिये गये स्थगन प्रार्थना पत्र को हर्जे पर स्वीकार भी किया गया है। विचारण न्यायालय ने नरेन्द्र सिंह को कई अवसर दिये परन्तु उसने जानबूझकर न्यायालय समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये इस पर न्यायालय द्वारा अवसर समाप्त किया गया। नरेन्द्र सिंह द्वारा जानबूझकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ताकि उसे भरण पोषण धनराशि न देनी पडे, अनुरोध किया कि प्रा०पत्र खण्डित किया जाए।

4– सदर मुसंरिम की आख्यानुसार प्रस्तावित अपील 345 दिवस विलम्ब से है।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विरुद्ध ग्राम न्यायालय में एक वाद बाबत भरण पोषण लम्बित था जिसमें वादिनी व विपक्षी द्वारा पैरवी की जा रही थी दौरान लम्बन वाद विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 9 बी निस्तारित करते हुए दिनांक 27.06.2024 को आंशिक रुप से स्वीकार किया तथा विपक्षी को प्रार्थिनी संख्या 01 के अन्तरिम भरण पोषण हेतु मु० 2000/– तथा प्रार्थी संख्या 02 व 03 के भरण पोषण एवं शिक्षा दीक्षा हेतु मु० 1000–1000/– रुपये प्रतिमाह देने हेतु आदेशित किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश पत्रक का अवलोकन करने से विदित है कि इस आदेश के निस्तारण के समय नरेन्द्र सिंह के अधिवक्ता के सुना जा चुका था एवं उसकी आपत्ति भी दाखिल थी, सुनवाई की तिथि 25.06.2024 को आवेदक/अपीलकर्ता उपस्थित था। इससे यह परिलक्षित होता है कि आवेदक की जानकारी में सम्पूर्ण मामला था उसके बाबजूद भरण पोषण न देना पड़े, आवेदक अनुपस्थित हो गया। अन्ततः आवेदक की अनुपस्थित में दिनांक 13.01.2025 को वादिनी का धारा 125 दं.प्र.सं. का वाद आंशिक रुप से स्वीकार किया गया। आवेदक का प्रार्थना पत्र धारा 5 में कथन है कि उसको दिनांक 01.12.2025 को जानकारी हुई क्योंकि आवेदक/अपीलकर्ता के पास मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं थे इसलिए वह अपने अधिवक्ता को बताकर दिल्ली प्राइवेट नौकरी करने चला गया किन्तु आवेदक ने बाहर नौकरी करने

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.06.03 16:53:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाने के प्रमाण स्वरुप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार यह दृष्टव्य है कि आवेदक ने दिन प्रतिदिन के बिलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया है बल्कि वह मुकदमे की कार्यवाही के दौरान ही जानबूझकर अनुपस्थित हो गया। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में विलंब का कारण युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। प्रा०पत्र में दर्शाये गये आधार अपर्याप्त हैं, अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 3 ए अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 3A अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किया जाता है। चूंकि आवेदक का धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है तदनुसार प्रस्तावित अपील भी कालबाधित होने के कारण निरस्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 03.06.2026

(नीरज कुमार)
सेशन न्यायाधीश
फर्रूखाबाद
JO Code–UP1907